न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 112 / 2015 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. चिमाराम पुत्र चोलाराम उम्र 70 वर्ष जाति जाट निवासी जाटो की बस्ती, लखवारा चौहटन जिला बाड़मेर।	बनाम	1.नैनाराम पुत्र चौलाराम उम्र 60 वर्ष 2.चूनाराम पुत्र चोलाराम उम्र 55 वर्ष जाति जाट निवासी जाटो की बस्ती, लखवारा चौहटन जिला बाड़मेर। 3.श्री तहसीलदार चौहटन जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर चौहटन के राजस्व वाद संख्या 250 / 2011 बअनवान नेना वगै. बनाम चिमा वगै. निर्णय दिनांक 13.07.2015।

उपस्थिति

1. वकील श्री भाखराराम गोदारा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री फताराम गोदारा रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः– 15.04.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम जाटो की बस्ती के खेत खसरा संख्या 16 रकबा 10.11 बीघा, खसरा संख्या 18 रकबा 7.15 बीघा एवं ग्राम लखवारा खसरा संख्या 74 रकबा 4.16 बीघा, खसरा संख्या 79 रकबा 0.07 बीघा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा संख्या 316 / 69 रकबा 5 बीघा खसरा संख्या 318 / 80 रकबा 108.16 बीघा का धारा अन्तर्गत 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। अपीलकर्ता की गैर मोजूदगी में एक पक्षीय विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार चौहटन द्वारा पेश किया। विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार स्वयं द्वारा तैयार न कर भू–अभिलेख निरीक्षक एवं हल्का पटवारी ने बिना अपीलकर्ता को नोटिस एवं सूचना दिये विभाजन प्रस्ताव बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। दिनांक 13.07.2015 को लोकअदालत न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प पोकरासर में पत्रावली रखी गई अपीलकर्ता एवं अपीलकर्ता के अधिवक्ता को कोई सूचना नहीं दी गई। अपीलाधीन आराजी में अपीलकर्ता को 6 पृथक–पृथक जगह भूमि बंटवाड़ा में बरंग हरा से दर्शाई गई है। परन्तु मौका में छः जगह की भूमि का रकबा पृथक–पृथक अभिलिखित नहीं किया है। विभाजन में प्राप्त अलग–अलग खसरों में आने–जाने हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं करवाया गया है। रास्ते के अभाव में विभाजन

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अपने आप में शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आलोच्य निर्णय काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार स्वयं मौके पर नहीं गया। अपीलाधीन आराजी में अपीलकर्ता को 6 पृथक–पृथक जगह भूमि बंटवाड़ा में बरंग हरा से दर्शाई गई है। परन्तु मौका में छः जगह की भूमि का रकबा पृथक–पृथक अभिलिखित नहीं किया है। विभाजन में प्राप्त अलग–अलग खसरों में आने–जाने हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं करवाया गया है। रास्ते के अभाव में विभाजन अपने आप में शून्य है। इसके बावजूद भी 13.07.2015 को डिक्री पारित कर दी गई जो कि न्यायोचित नहीं है। यह बंटवारा By Metes & Bounds के सिद्धान्त के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय By Metes & Bounds किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि दिनांक 22.10.2015 को प्रातः जब अपीलकर्ता अपने कब्जा–काश्त खेतान में सावणु फसल मोठ, बाजरी बटोर रहा था। तब उत्तरदाता संख्या 1 व 2 ने अपीलकर्ता को फसल बटोरने से मना कर दिया और धमकी दी की यह तेरे खेड़े वाली व ढाणी वाली भूमि हमारे नाम खातेदारी में दर्ज है। तब अपीलांट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर आलोच्य आदेश की नकल मांगी जो दिनांक 28.10.2015 को प्राप्त हुई। वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अधिवक्ता अपीलांट की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। दिनांक 11.04.2019 को उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों के निवेदन पर उनकी उपस्थिति में मौका देखा गया। उभयपक्ष की मौके पर उपस्थिति भी रही। उनके द्वारा जताई आपतियों को भी जाना। उन्हे समाझाईश की गई। उन्हे कोई वैकल्पिक प्रस्ताव/सुझाव बाबत भी अवगत कराया। उनकी मंशानुरूप इस हेतु मौका भी दिया गया। फिर भी कोई प्रस्ताव/सुझाव किसी पक्ष ने प्रस्तुत नहीं किया। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट विभाजित भूमि अनुसार मौके पर अपने–अपने आवासीय मकानात, ढाणियां, झोंपे आदि बनाकर निवासरत है। अपीलांट पक्ष के तो पक्के मकानात बने हुए हैं जो उन्होने अपनी भूमि श्रेष्ठ समझकर काफी अरसे पूर्व बना लिये। उनकी आपति का कोई कारण नजर नहीं आता। आराजी में कोई सड़क भी नहीं है। भूमि भी एक सरीखी है। भूमि भी विभाजन प्रस्ताव सभी दृष्टिकोणों से वाजिब हैं। मौके की वर्तमान स्थिति के आधार पर एवं पत्रावली पर पेश दस्तावेजों के आधार पर मामला एतराज लायक नहीं है। अधीनस्थ अदालत के निर्णय की मौके पर क्रियान्विति होकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद भी हो चुका है। लिहाजा अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर चौहटन द्वारा राजस्व वाद संख्या 250/2011 बअनवान नेना वगै. बनाम चिमा वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 को यथावत रखा जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 15.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner